मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ–भवन

क्रमांक एफ. 6–6/2012/सात–3 — भोपाल, दिनांक 22 मई, 2012

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।

विषयः वन्य प्राणियों से फसल हानि का आंकलन एवं सहायता वितरण हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड छः क्रमांक 4 में संशोधन।

राज्य शासन के निर्णयानुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड छः क्रमांक 4 के परिशिष्ट–1 के पद (एक) के नोट क्रमांक (11) के पश्चात् निम्नानुसार नोट क्रमांक (11–क) जोड़ा जाता है :–

> "(11–क) राजस्व एवं वन ग्रामों में वन्य प्राणियों द्वारा फसल हानि किये जाने की सूचना अथवा प्रभावित व्यक्ति का आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार यथाशीघ्र स्थल निरीक्षण कर फसल हानि का पंचनामा तैयार करेगा, जिस पर वन विभाग के बीट गार्ड ~~अथवा परिक्षेत्र सहायक, जो भी उपलब्ध हो, से इस बाबत् प्रमाणीकरण प्राप्त करेगा कि~~ फसल हानि वन्य प्राणियों द्वारा की गई है। स्थल निरीक्षण पंचनामा प्रमाणीकरण के उपरान्त सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा परिपत्र के मानदंड अनुसार सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।"

2/ ऐसे मामलो में देय सहायता राशि मांग संख्या 10–2406(5828)–54 'वन्य प्राणियों द्वारा फसल क्षति का मुआवजा' से विकलनीय होगी।

3/ उपरोक्त संशोधन राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 का भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बी0पी0सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

पृ.क्रमांक एफ. 6–6/2012/सात–3 — भोपाल, दिनांक 22 मई, 2012

प्रतिलिपि–

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग
3. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
6. डायरेक्टर (डी.एम.–1), भारत सरकार, गृह कार्य मंत्रालय (डिसास्टर मैनेजमेंट डिवीजन) लोक नायक भवन, नई दिल्ली

सूचनार्थः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश
2. आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
3. निज सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल,
4. निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण मध्यप्रदेश,
5. संयुक्त संचालक, जन सम्पर्क, (वल्लभ भवन प्रकोष्ठ), भोपाल

प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग